



बंगाल की बेरोजगारी दर देश के मुकाबले बहुत कम : ममता

'स्वदेशी खाएंगे, पहनेंगे व बेचेंगे'

कोलकाता, 4 जुलाई (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सेटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनामी की एक रिपोर्ट का हावाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर देश से काफी कम है। उन्होंने कहा कि इस साल जून में राज्य की 104 हो गई है। एक अधिकारी ने कहा कि 50 और 53 वर्ष के बीच जबान हाल ही में केल से लोटे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को ट्रेनेट मासिन की मदद से लुगलें में इन दो जबानों में कोविड-19 की पुष्ट हुई है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बंगाल में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत रही, यह दर देश की 11 प्रतिशत के मुकाबले कहीं बेहतर है।

उन्होंने कहा कि इतना ही उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मुकाबले यहाँ बेरोजगारी दर काफी कम है। पश्चिम बंगाल कोरोना माहामारी के साथ-साथ चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही से जूँड़ रहा है। इसके बावजूद मजबूत आर्थिक रणनीति की वजह से यहाँ बेरोजगारी दर काफी कम है।

पश्चिम बंगाल को बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत रही। उन्होंने अपने टीवी में लिखा कि हमने कोविड-19 और चक्रवात अम्फान की वजह से हुई तबाही से निपटने के लिए एक मजबूत आर्थिक रणनीति लाग की है।

उन्होंने लिखा कि सीएसआई के मुताबिक जून महीने में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत रही। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जानकारी दरी है। उन्होंने अपने टीवी में लिखा कि हमने कोविड-19 और चक्रवात अम्फान की वजह से यहाँ बेरोजगारी दर 9.6 एवं हरियाणा में 33.6 प्रतिशत रही।

इससे पहले बृद्धवार को सेटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनामी की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया कि भारत में बेरोजगारी दर 3 बजे में लोगों की मौत हुई है। जबकि 140 मरीज संक्रमितों के संपर्क में आए थे।

विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 216 मामले गंजम में सामने आए। इसके बाद खुदां में 50, सुन्दराढ़ में 36, मध्यभूज में 28, अंगूल में 24, पुरी में 18 और कटक तथा बालासोर में 13-13 लोग संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कुल 8,601 मरीजों में से 2,853 अब भी संक्रमित हैं। जबकि 5,705 लोग खस्त हो चुके हैं। ओडीशा में अपने तक 2,87,090 लोगों की कोविड-19 के लिए जांच की गई है जिनमें से 5,567 लोगों की जांच शुरूवात की गई।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बताया कि इस बीच 21 जिलों से कोरोना को 495 नए मामले आने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 11,111 हो गई है। यहाँ संक्रमण के 197 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 11,111 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई।

राज्य में इस समय कोरोना के 2,816 मरीजों का इलाज चल रहा है, वही 8,211 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं।

शुक्रवार देर रात को जारी बुलेटिन के अनुसार बिहार में कोविड-19 के 197 नए मामले सामने आने के साथ बाद मृतकों की संख्या 84 हो गई है, वही संक्रमण के 197 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 11,111 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई।

राज्य में इस समय कोरोना के 2,816 मरीजों का इलाज चल रहा है, वही 8,211 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं।

शुक्रवार देर रात को जारी बुलेटिन के अनुसार बिहार में कोविड-19 के 197 नए मामले सामने आने के साथ बाद मृतकों की संख्या 84 हो गई है, वही संक्रमण के 197 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 11,111 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई।

राज्य के सभी 38 जिलों में कोविड-19 के 197 नए मामले सामने आए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक सबसे अधिक संक्रमण के मामले पटना (1016), भागलुरु (552),

भुवनेश्वर, 4 जुलाई (भाषा)।

ओडीशा में चार और लोगों की कोविड-19 से मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 34 हो गई है। जबकि 495 नए मामले आने के साथ अंधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस बीच 21 जिलों से कोरोना को 495 नए मामले आने के साथ अंधिकारी ने जानकारी दी गई है।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जंगम में तीन और लोगों की मौत हुई है। जबकि भुवनेश्वर (खुदां जिला) में दो लोगों की मौत हुई है। अधिकारी ने बताया कि कटक जिले में कोविड-19 के एक अन्य मरीज की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जौन और लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कटक जिले में कोविड-19 के एक अन्य मरीज की मौत हुई है, जबकि खुदां जिला में दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित गंजम जिले में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। जबकि 140 मरीज संक्रमितों के संपर्क में आए थे।

विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 216 मामले गंजम में सामने आए। इसके बाद खुदां में 50, सुन्दराढ़ में 36, मध्यभूज में 28, अंगूल में 24, पुरी में 18 और कटक तथा बालासोर में 13-13 लोग संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कुल 8,601 मरीजों में से 2,853 अब भी संक्रमित हैं। जबकि 5,705 लोग खस्त हो चुके हैं। ओडीशा में अपने तक 2,87,090 लोगों की कोविड-19 के लिए जांच की गई है जिनमें से 5,567 लोगों की जांच शुरूवात की गई।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बताया कि इस बीच 21 जिलों से कोरोना को 495 नए मामले आने के साथ अंधिकारी ने जानकारी दी गई है।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जंगम में तीन और लोगों की मौत हुई है। जबकि भुवनेश्वर (खुदां जिला) में दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कटक जिले में कोविड-19 के एक अन्य मरीज की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जौन और लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित गंजम जिले में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। जबकि 140 मरीज संक्रमितों के संपर्क में आए थे।

विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 216 मामले गंजम में सामने आए। इसके बाद खुदां में 50, सुन्दराढ़ में 36, मध्यभूज में 28, अंगूल में 24, पुरी में 18 और कटक तथा बालासोर में 13-13 लोग संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कुल 8,601 मरीजों में से 2,853 अब भी संक्रमित हैं। जबकि 5,705 लोग खस्त हो चुके हैं। ओडीशा में अपने तक 2,87,090 लोगों की कोविड-19 के लिए जांच की गई है जिनमें से 5,567 लोगों की जांच शुरूवात की गई।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बताया कि इस बीच 21 जिलों से कोरोना को 495 नए मामले आने के साथ अंधिकारी ने जानकारी दी गई है।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जंगम में तीन और लोगों की मौत हुई है। जबकि भुवनेश्वर (खुदां जिला) में दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कटक जिले में कोविड-19 के एक अन्य मरीज की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जौन और लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित गंजम जिले में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। जबकि 140 मरीज संक्रमितों के संपर्क में आए थे।

विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 216 मामले गंजम में सामने आए। इसके बाद खुदां में 50, सुन्दराढ़ में 36, मध्यभूज में 28, अंगूल में 24, पुरी में 18 और कटक तथा बालासोर में 13-13 लोग संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कुल 8,601 मरीजों में से 2,853 अब भी संक्रमित हैं। जबकि 5,705 लोग खस्त हो चुके हैं। ओडीशा में अपने तक 2,87,090 लोगों की कोविड-19 के लिए जांच की गई है जिनमें से 5,567 लोगों की जांच शुरूवात की गई।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बताया कि इस बीच 21 जिलों से कोरोना को 495 नए मामले आने के साथ अंधिकारी ने जानकारी दी गई है।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जंगम में तीन और लोगों की मौत हुई है। जबकि भुवनेश्वर (खुदां जिला) में दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कटक जिले में कोविड-19 के एक अन्य मरीज की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जौन और लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित गंजम जिले में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। जबकि 140 मरीज संक्रमितों के संपर्क में आए थे।

विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 216 मामले गंजम में सामने आए। इसके बाद खुदां में 50, सुन्दराढ़ में 36, मध्यभूज में 28, अंगूल में 24, पुरी में 18 और कटक तथा बालासोर में 13-13 लोग संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कुल 8,601 मरीजों में से 2,853 अब भी संक्रमित हैं। जबकि 5,705 ल

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated June 28, 2020 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

Our Company was incorporated as 'Peter England Fashions and Retail Limited' at Bangalore on April 19, 2007, as a public limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Pantaloons Fashion & Retail Limited' with effect from April 23, 2013 and to 'Aditya Birla Fashion and Retail Limited' with effect from January 12, 2016. For details of change in our name and the Registered and Corporate Office of our Company, see "General Information" and "History and Corporate Structure" beginning on pages 42 and 84, respectively of the LOF.

Registered and Corporate Office: Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4th and 5th Floor, Unit No. 401,403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai 400 070. **Contact person:** Ms. Geetika Anand, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 86529 05000 | **E-mail id:** secretarial.abfr@adityabirla.com | **Website:** www.abfr.com

Corporate Identity Number: L18101MH2007PLC233901

PROMOTER OF OUR COMPANY: BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF 9,04,65,693 PARTLY PAID-UP SHARES* OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 110 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 100 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 9,95,12,26,230* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 9 (NINE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 77 (SEVENTY SEVEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS WEDNESDAY, JULY 1, 2020 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 210 OF THE LOF.

* Assuming full subscription

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

**ISSUE OPENS ON:
WEDNESDAY, JULY 8, 2020**

**LAST DATE FOR ON
MARKET RENUNCIATIONS:
FRIDAY, JULY 17, 2020***

**ISSUE CLOSES ON
WEDNESDAY, JULY 22, 2020***

* Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.

Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of making
an application - Make use of it!!!

* Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.

Facilities for Application in this Issue

(i) ASBA Facility:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process or the R-WAP (instituted only for resident Investors in this Issue, in the event the Investors are not able to utilize the ASBA facility for making an Application despite their best efforts). Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA or using the R-WAP. For details, see "Terms of the Issue - Making of an Application through the ASBA process" and "Terms of the Issue - Making of an Application through the Registrar's Web-based Application Platform ("R-WAP") process" beginning on pages 213 and 214 of the LOF, respectively."

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

(ii) Registrar's Web-based Application Platform (R-WAP):

In accordance with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, a separate web based application platform, i.e., the R-WAP facility (accessible at www.linkintime.co.in), has been instituted for making an Application in this Issue by resident Investors. Further, R-WAP is only an additional option and not a replacement of the ASBA process. On the R-WAP, resident Investors can access and submit the online Application Form in electronic mode and make online payment using their internet banking or UPI facility from their own bank account thereat.

PLEASE NOTE THAT ONLY RESIDENT INVESTORS CAN SUBMIT AN APPLICATION USING THE R-WAP. R-WAP FACILITY WILL BE OPERATIONAL FROM THE ISSUE OPENING DATE. FOR RISKS ASSOCIATED WITH THE R-WAP PROCESS, SEE "RISK FACTORS - THE R-WAP PAYMENT MECHANISM FACILITY PROPOSED TO BE USED FOR THIS ISSUE MAY BE EXPOSED TO RISKS, INCLUDING RISKS ASSOCIATED WITH PAYMENT GATEWAYS" ON PAGE 33 OF THE LOF.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online / electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. For list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intid=34>. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES UNDER THE ASBA PROCESS CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALISED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA APPLICANT ON THE RECORD DATE.

APPLICATION ON PLAIN PAPER: An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. Please note that the Application on plain paper cannot be submitted through R-WAP.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being Aditya Birla Fashion and Retail Limited; 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); 3. Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID; 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue; 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option – only dematerialised form; 7. Number of Rights Equity Shares entitled to; 8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; 9. Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any (applyable only if entire Rights Entitlements have been applied for); 10. Total number of Rights Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate of ₹ 55 per Rights Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and 16. All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof ("the United States"), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. I/ we understand the Right Equity Shares referred to in this application are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S") to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. I/ we understand that the issue is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States. I/ we confirm that I am/ we are (a) not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the issue, and (c) understand that neither Our Company, nor the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of Our Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who Our Company, the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of Our Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and ineligible to participate in this Issue under the securities laws of their jurisdiction.

I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation. I/ We satisfy, and each account for which I/ we are acting satisfies, (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of my/our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence.

I/ We hereby make the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in the section of the Letter of Offer titled "Restrictions on Purchases and Resales" on page 241 of the LOF.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

I/ We acknowledge that we, the Lead Managers, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter, any other offering material and the issue of the Rights Entitlement and the Rights Equity Shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India are restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Our Company is making this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material only to the e-mail addresses of Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Those overseas shareholders who do not update our records with their Indian address or the address of their duly authorised representative in India, prior to the date on which we propose to e-mail this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form shall not be sent this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form.

NO OFFER IN THE UNITED STATES

The Rights Entitlements and The Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States securities act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any U.S. State Securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or the territories or possessions thereof ("the United States" or "U.S."), except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. The Rights Equity Shares are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S") to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. The offering is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities.

Neither our Company, nor any person acting on behalf of our Company, will accept a subscription or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company, or any person acting on behalf of our Company, has reason to believe is, in the United States when the buy order is made. No Application Form should be postmarked in the United States, electronically transmitted from or dispatched from the United States or from any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer of securities under this Letter of Offer. Our Company is making this issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch this Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer and the Application Form, through e-mail, only to Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted and agreed, by accepting the delivery of this Letter of Offer, that it is not and that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States and is authorized to acquire the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.

Our Company, in consultation with the Lead Managers, reserves the right to treat as invalid any Application Form which: (i) appears to our Company or its agents to have been executed in, electronically transmitted from or dispatched from the United States or other jurisdictions where the offer and sale of the Rights Equity Shares is not permitted under laws of such jurisdictions; (ii) does not include the relevant certifications set out in the Application Form, including to the effect that the person submitting and/or renouncing the Application Form is not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws and is complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with this Issue; or (iii) where either a registered Indian address is not provided or where our Company believes acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to issue or allot any Rights Equity Shares in respect of any such Application Form.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or plain paper Application is Wednesday, July 22, 2020 i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB or if the Application Form is not accepted at the R-WAP, prior to the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "Terms of Issue - Basis of allotment" beginning on page 232 of the LOF.

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALISED FORM: The Allotment of Equity Shares pursuant to the Issue will only be made in dematerialised form. In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, (a) the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date; or (b) the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, desirous of subscribing to Rights Equity Shares may also apply in this Issue during the Issue Period subject to certain conditions. Such resident Eligible Equity Shareholders must check the procedure for application by and credit of Rights Equity Shares to such Eligible Equity Shareholders in Terms of the Issue - Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" and "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA accounts" beginning on pages 217 and 233, respectively of the Letter of Offer.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (collectively, the "Stock Exchanges"). Our Company has received "in-principle" approvals from BSE through its letter dated June 20, 2020, as revised by its letter dated June 25, 2020 and NSE through its letter dated June 22, 2020. Our Company will also make applications to the Stock Exchanges to obtain their trading approvals for the Rights Entitlements as required under the SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 203 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 205 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 206 of the LOF.

Escrow Collection Bank: Axis Bank Limited.

Allotment Account Banks: Axis Bank Limited, The Federal Bank Ltd and State Bank of India.

REFUND BANKER: Axis Bank Limited.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Relaxation Circular and the MCA Circular, our Company will send, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter, Application Form and other Issue related material at least two days before the Issue Opening Date, only through e-mail, to the e-mail addresses of all the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company. The Letter of Offer will be sent, only through e-mail, by the Registrar or in behalf of our Company or the Lead Managers to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company and who make a request in this regard. In accordance with the above, the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter alongwith the Application Form has been completed in electronic form through email on Saturday, July 04, 2020 by the Registrar to the Issue

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.linkintime.co.in) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., www.abfr.com).

Our Company along with the Lead Managers have taken and will continue to undertake all adequate steps to reach out to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through means as may be considered feasible by our Company and our Company or the Lead Managers will not be liable for considering or choosing or not considering or choosing any specific means to reach out to the Eligible Equity Shareholders.

Investors can access this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of: (i) our Company at www.abfr.com; (ii) the Registrar at www.linkintime.co.in; (iii) the Lead Managers, i.e. (

गुरु पूर्णिमा



सहज योग



परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी
सहज योग संस्थापिका
कुण्डलिनी जागरण द्वारा आत्म-साक्षात्कार दात्री

एक सद्गुरु के गुण

गुरु आपको परमात्मा से मिलवाता है

सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आपको परमात्मा से मिलवाता है, अर्थात् वह आपकी कुंडलिनी को जागृत करके आपका संबंध परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से स्थापित करवाता है। एक बार गुरु नानकजी से पूछा गया कि सच्चा गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, “साहब मिलिहें सो ही सद्गुरु”। अर्थात् जो आपको परमेश्वर से मिलाये वही सच्चा है। फिर उन्होंने इन गुरुओं को अगुरु और कुगुरु इत्यादि श्रेणियों में भी बाँटा है। सच्चा गुरु वही है जो आपको परमेश्वर से, दैवीय शक्ति से मिलाता है।

आप गुरु को खरीद नहीं सकते

एक सच्चे गुरु को एक माता की तरह अपने शिष्यों के कल्याण और धर्म-प्रायणता की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये। गुरु ही अपने शिष्य को ब्रह्मचैतन्य से जोड़ता है। आप उस को खरीद नहीं सकते। यदि आप किसी गुरु को खरीदते हैं तो वह आपका दास हो सकता है, लेकिन गुरु कभी नहीं हो सकता।

एक गुरु को एक उच्च कोटि का साक्षात्कारी और अत्यधिक विकसित होना चाहिये

गुरु को एक सच्चा गुरु होना चाहिये, न कि अपने शिष्यों का शोषण करनेवाला, परमात्मा

से अनाधिकृत कोई व्यक्ति। मानवीय चेतना और परमेश्वरी चेतना के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसे केवल एक पूर्ण गुरु ही भर सकता है। आज पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा। गुरु को एक संपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिये, जो अपने शिष्यों को परमेश्वरी विधानों के बारे में बता सके और उनकी समझ को उस स्तर तक ऊँचा उठा सके, कि वे उन विधानों को अपने अंदर समा सकें। वह इस अंतर को भरने के लिए है, और इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक गुरु एक उच्च कोटि का आत्म-साक्षात्कारी और विकसित व्यक्ति हो।

यह आवश्यक नहीं कि गुरु एक सन्यासी हो

यदि आप सभी गुरुओं के जीवन को देखेंगे तो पायेंगे कि वे सभी विवाहित थे, उनके बच्चे थे और वे सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। फिर भी अपने व्यक्तिगत जीवन में वे एकदम निर्लिपि थे। यह आवश्यक नहीं कि गुरु एक सन्यासी हो, न ही यह कि वह जंगलों में रहे। वह एक सामान्य गृहस्थ हो सकता है और एक राजा भी हो सकता है। जीवन की यह सभी बाहरी अभिव्यक्तियाँ कोई मायने नहीं रखतीं।

(परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी
द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन)

सभी गुरुओं और पैगंबरों ने आपसी प्रेम और शांति का ही संदेश दिया

“जब आप दैवी शक्ति के आयाम, यानि ब्रह्म में रहते हैं, तो वह आपकी देखभाल करती है।”

-राजा जनक



“मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे और आपके, तथा मेरे और आपके लोगों के बीच किसी भी तरह का संघर्ष या मनमुटाव नहीं होना चाहिये, क्योंकि हम सब तो भाई-भाई हैं।” - अब्राहम

“दूसरों पर विजय प्राप्त करना बल है, लेकिन स्वयंपर विजय प्राप्त करना सच्ची शक्ति है।”

-लाओत्से



“सत्य का मार्ग ही एकमेव मार्ग है।”

-जराथृष्ण

“हर इंसान में भगवान को देखो।”

- शिरडी के साईनाथ



“आज मैं आपको जो भी धर्मोपदेश दे रहा हूँ, आपको उनका अनुसरण करना पड़ेगा, ताकि आप शक्तिशाली बनें।”

-मोज़ेस

“जिस जीवन का निरीक्षण न किया गया हो, वह जीने लायक नहीं।”

- सुक्रात



“हमारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने पर हर बार उठ जाने में है।”

-कन्फूशियस

“खुदा की रुचना पर एक घंटे ध्यान करना, सत्तर वर्ष प्रार्थना करने से बेहतर है।”

-पैगंबर मोहम्मद



“समस्त मानवता के बीच भाईचारा ही योगियों का सच्चा नियम है। अपने मन को जीतना ही सारे विश्व को जीतना है।”

- गुरु नानक

गुरु वही जो हमें प्रभु से मिलाये सद्गुरु को परखने की ७ कस्तौटियाँ

सत्य-साधक परमात्मा को पाने के लिए और जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिये सदैव सच्चे गुरु की खोज में रहते हैं, लेकिन कई बार इस प्रयास में वे झूठे गुरुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आजकल भारत में ऐसे झूठे गुरु खूब फल-फूल रहे हैं जो आपकी आस्था, रूपये-पैसे, स्वास्थ्य और विवेक, सब चौपट करने के लिए तैयार बैठे हैं। नीचे दी गई ७ कस्तौटियों पर परख के आप स्वयं सत्य जान सकते हैं।

१) क्या कभी रूपया पैसा लिया जाता है? यदि रूपया-पैसा लिया जा रहा है तो अवश्य गोरख-धंधा है। सत्य न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है।

२) यदि किसी गुरु के शिष्य आपका एक सेल्समैन की तरह पीछा करते हैं और आपको शिष्य बनाने के पैसे लेते हैं तो समझ जाइये कि यह एक संगठित व्यापार है, सत्य-साधना का मार्ग नहीं है।

३) उस गुरु के साथ आपको क्या अनुभव मिला? हर क्षणिक अनुभव दैवीय नहीं होता। कुछ दिनाना या सुनाई देना, हवा में तैरना, भविष्यवाणीयाँ, प्रभामंडल, मृतकों के साथ बातचीत इत्यादि करना अत्यंत खतरनाक होते हैं।


४) यदि वह गुरु आध्यात्मिक मार्ग पर चलने हेतु आपको अपने परिवार और संपत्ति को त्यागने का निर्देश देता है, तो निश्चित रूपसे यह एक छलावा है। अतः ऐसे गुरु से सावधान हो जाइये।

५) क्या आपको अजीब से कपड़े पहनने के लिए, अजीब मुद्राओं में बैठने के लिए, सुबह-शाम मंत्र जाप के लिए, या कोई अँगूठी या आभूषणादि पहनने को कहा जाता है? आपको जान लेना चाहिये कि परमात्मा इन सब व्यर्थ की चीजों से परे हैं और उनके लिये, आपकी उनके प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा ही महत्व रखती है।

६) आपके क्या प्राप्त होता है? क्या आपके गुरु आपको सदाचारी बना पाते हैं? यदि वह एक धर्म के दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं तो इसका अर्थ है कि वे धर्म के नाम पर केवल पाखंड कर रहे हैं।

७) यदि आपको गुरु आपको व्यधिचार, यौन स्वतंत्रता या कठोर सन्यास की ओर उन्मुख कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप गलत स्थान पर आ गये हैं, जहाँ पर वे झूठे गुरु और उनके एजेन्ट आपका शोषण करने के लिए तैयार हैं।

सत्य को प्राप्त करने के लिये आपको अनेकों शुभकामनायें।



सहज योग विश्व के एक सूत्र में पिरोता है अधिक जानकारी और अपना आत्म-साक्षात्कार पाने के लिए, निम्न सूत्रों का उपयोग करें-

www.sahajayoga.org
www.nirmaldham.org
www.sahajayogamumbai.org
www.sahajayoga.org.in
www.freemeditation.com
www.freemeditation.com.au
www.sahajayogaworld.org

विश्व भर के सहज योग संपर्क-सूत्रों के लिए

दूसरी नज़ार

■ पी चिंदंबरम

य

दि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसने कुछ गलत किया होगा। यदि किसी व्यक्ति को जमानत देने से इंकार कर दिया जाता है तो उसे दोषी होना चाहिए। अगर किसी को न्यायिक हिरासत (जो कि पुलिस हिरासत से अलग है) में भेजा जाता है तो वह कैद के साथ सजा का भागीदार होता है।

कुछ विवार हो बातों के लिए कि उपरोक्त स्पष्ट रूप से गलत है। यह हमारे अलंधनीय अधिकारों जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, और स्वतंत्रता को कम करने के प्रति अनदेखी की हमारी निर्यता है, जैसे कि अमेरिका के मिनेसोटा में जॉर्ज फॉयड आंदोलन में देखने को मिला या भारत में तमिलनाडु में जयराज और फेनिक्स के मामले में देख रहे हैं।

भारत में हिरासत में होने वाली कथित यातनाओं के मामलों में जयराज और फेनिक्स का मामला कोई पहला नहीं है। 1996 में सूचीम कोर्ट के दो जॉर्ज ने पश्चिम बंगाल के डी के बासु और उत्तर प्रदेश के ए के जॉर्ज के पांच पर स्वतः संज्ञानिया था, जिनमें हिरासत में दोषी की घटनाएं तेजी से बढ़ने की बात कही गई थी और 18 दिसंबर 1996 को (डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997), 1 एसीसी 436) को ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले की कई बार पुष्टि हुई और इसका समर्थन किया गया, फिर भी दुखद है कि चौबीस साल बाद भी कुछ नहीं बदला।

कई तरह की पुलिस

जब राज्य किसी अन्य व्यक्ति के मामले में कार्रवाई करता है तो अपार पर व्यक्ति को राज्य में पूरा भरोसा होता है और वह यह मानने के लिए तैयार रहता है कि एक पुलिस अधिकारी, एक अधिकारी, एक फैनिक्स, एक जज या डॉक्टर होनेका कानून समर्थन काम करेगा। पर वह गलत है। लार्ड डेनिंग ने इस बारे कहा है—

'कोई भी यह नहीं मान सकता कि कार्यपालिका कभी भी ऐसे पाप की दोषी नहीं होगी, जो

लोकतंत्र में तानाशाही

स

मकालीन लोकतंत्रिक व्यवस्था में सतावाही और तानाशाही ने तत्व को लेकर पांच साल पहले परिस

यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेर्जेंट गुरिएव और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डेनिंग द्वारा देखा गया था। अध्ययन का शीर्षक था 'हाउ मॉडन डिक्टॉर्स सर्वांग' : ऐन इन्कॉर्पोरेशन और आॊफ द न्यू अॉप्टोरिटरियन्यून्म'।

पॉलिटिकल साइंस के इन दोनों विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व का शास्त्र किया, जो अपने कार्यकाल में सतावाही और तानाशाही प्रयोग प्रदर्शित करते रहे थे। इन नेताओं में कुछ का तो तत्त्व पतल हो गया, पर जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए या सत्ता पर उसके बाद भी काविय रहे, उन सर्वमें शोधकर्ताओं को एक बड़ी समानता मिली थी।

शोध के

अनुसार लंबे समय

तक सत्ता में बने

रहने के लिए

लोकतंत्रिक

व्यवस्था में

तानाशाही प्रवृत्ति

वाले होने के लिए अपने को औरी से अधिक सक्षमता करने का भरसक प्रयास करते हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वे वास्तव में कितने सक्षम हैं। मतलब ऐसे इस प्रसार से होता है कि उनके सरीखा कंपैटेंट (सक्षम) क्योंकि सिर्फ बुरा होता है।

अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए अनुदार सरकारों

ने पुलिसिया आंतक को बहुत हत तक त्याग दिया है।

पुलिस त्यवर्था अब भी है, पर वही

को अद्यत्य कर दिया गया है। उसकी

जगह टेक्नोलॉजी को लाया गया है, जिससे

लोक-विवार और आचरण को समुचित रूप से

नियंत्रित रखा जा सके।

रुप से नियंत्रित रखा जा सके।

तीरंदाज

■ अश्विनी भट्टनागर



हाल के दशकों में लोकतंत्रिक तानाशाही ने अपने को वैशिक मीडिया और नई तकनीक के अनुसार ढाल लिया है।

अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए अनुदार सरकारों

ने पुलिसिया आंतक को बहुत हत तक त्याग दिया है।

पुलिस त्यवर्था अब भी है, पर वही

को अद्यत्य कर दिया गया है। उसकी

जगह टेक्नोलॉजी को लाया गया है, जिससे

लोक-विवार और आचरण को समुचित

रूप से नियंत्रित रखा जा सके।

तानाशाही है।

प्रोफेंटों के माध्यम से वह अपनी सक्षमता के बायन, किसी और कहनीयां प्राप्तिकरता है। दूसरे शब्दों में, अपने अलोकतंत्रिक शासन को प्रफ़ेरन्स देनियांसे या कार्यवैधता का औन्नियन्वयन के आते-आते तक बढ़े पैमाने पर हिस्सा का प्रयोग करना चाहता था। हाल के दशकों में लोकतंत्रिक तानाशाही ने अपने को वैशिक मीडिया और नई तकनीक के अनुदार ढाल लिया है। अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए अनुदार सरकारों ने पुलिसिया आंतक को बहुत हत तक त्याग दिया है। पुलिस त्यवर्था अब भी है, पर वही को अद्यत्य कर दिया गया है। उसकी जगह टेक्नोलॉजी को लाया गया है, जिससे लोक-विवार और आचरण को समुचित रूप से नियंत्रित रखा जा सके।

अध्ययन के अनुसार लोकतंत्रिक तानाशाही सरकारों

से चुनाव करती है, जिसमें उनकी जीत नियंत्रित होती है। वे

स्वतंत्र प्रेस पर

प्रतिवध नहीं लगाती है, बल्कि उस पर

अपना प्रभाव भय

और लालच दिखा

कर बाती है। जहाँ

तक विवरण का संबंध है, तो वे

स्वतंत्र प्रेस पर

प्रतिवध नहीं लगाती है, जिसकी

जीत नियंत्रित होती है। इसकी

जीत नियंत्रित होती है। इसकी</

प्राणोजस क्रिया

3A

धूमिक समाज में पूरे जीवन उस सड़क पर दौड़ता जा रहा है, जिसके कोई मंजिल नहीं है। असंयमित भोजन, असंयमित नींद, काम का अत्यधिक दबाव, दांपत्य जीवन में कलह, असंतोषी जीवन, कम समय में बहुत कुछ पाने की लालसा, यहां तक कि शरीर-प्राण-मन सब रोगी हो चुके हैं लेकिन फिर भी सुख को पाने की दौड़ जारी है। ऐसे में सवाल है कि सुख क्या है और कैसे मिलेगा? शरीर के सुखी बनाने के लिए मनुष्य ने सभी साधन तो जुटा लिए हैं लेकिन वह उन साधनों को भोगने के बाद भी हमेशा रोग और मानसिक तनाव में डूबा रहता है।

यह मानसिक तनाव कामकाजी स्त्री-पुरुष को ही नहीं, स्फुल के छोटे-छोटे बच्चों व बुजु़गों को भी हो रहा है। इस अस्त-प्वर जीवन ने हमारे स्नायुं तंत्र तथा प्रतिरोधक प्रणाली (इन्हने सिस्टम) को कमज़ोर कर दिया है। आज हम देख रहे हैं कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, वही करोना या अन्य बीमारियों की चपेट में अधिक आ रहा है। यहां तक कि अपने जीवन को भी बैठता है।

योग दर्शन

डॉ. वरुण वीर



संकुचन कर ऊपर को ओर खांचना है अथात गुदाद्वार को बंद कर ऊपर की ओर खांचना है।

जालंधर बंध : कमर सीधी रखते हुए सिर को नीचे की ओर झुकाना है और ठोड़ी की छाती से लगा देना है अथात गर्दन को आगे झुका कर विशुद्धि चक्र को दबाना है, जिससे कि सांस न अंदर जाए, न बाहर आए।



प्राणोजस क्रिया

प्राणोजस क्रिया प्राण की एक प्रक्रिया है जिसके प्रतिदिन आठ से दस मिनट करने से प्रतिरोधक प्रणाली (इन्हने सिस्टम) को कमज़ोर कर दिया है। आज हम देख रहे हैं कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, वही करोना या अन्य बीमारियों की चपेट में अधिक आ रहा है। यहां तक कि अपने जीवन को भी बैठता है।

प्राणोजस क्रिया शरीर में प्राणशक्ति को बढ़ाकर

शरीर के प्रत्येक अंग को नई ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के अंदर जो भी गुदाद्वार मानसिक और भावनात्मक अशुद्धि है, वह उसे निकालकर रिक्त स्थान पैदा करती है। रिक्त स्थान पैदा होने के बाद प्राणोजस क्रिया के द्वारा शरीर में गहराई तक 'ओज' (लाइफ एनर्जी) दौड़ने लगती है। यह क्रिया करने के बाद शरीर, प्राण तथा मन में सुन्दरुन स्थापित होता है। मन को गहरी शांति का आनंद मिलता है।

प्राणोजस क्रिया में बंधों का प्रयोग

इस क्रिया की एक स्थिति में तीनों बंध का तथा एक स्थिति में दो बंध का प्रयोग किया जाता है। बंध तीन प्रकार के हैं- मूल बंध जालंधर बंध और उच्च रक्तचाप बंध।

मूल बंध : गुदाद्वार का संकुचित रखने के लिए अपने शरीर के बाहर सरकर खतरा रखना। यह बंध करते समय कई बार साधक जांघों और नितब की मासपेशियों का भी सुकुचन कर लेता है जो कि नहीं करना है। केवल गुदाद्वार का

उच्चियान बंध : इसमें सांस पूरी तरह से बाहर निकाल कर पेट अंदर खोंच लेना होता है और इतना खोंचे कि साधक की पसलियां दिखने लगें। पदमासन, स्थितिक आसन, सिद्धासन या सुखासन में इस क्रिया को करने से अधिक लाभ मिलता है।

कुरुसी पर बैठकर या ऐसी स्थिति में जहां साधक के पैर नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, वैसे में लाभ कम मिलता है। प्रातः चार बजे से लेकर छह बजे तक और शांत बजे से लेकर सात बजे तक इस क्रिया को करने का समय अच्छा है।

इसके अनुसार समय को थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है। यदि निर्देशित समय में यह क्रिया नहीं होती है तो इस क्रिया को करना जासकता है लेकिन तब लाभ कम मिलेगा। यह क्रिया करते समय पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। ध्यान रखे कि शम को यह क्रिया करते समय भोजन तथा क्रिया करने में लगभग तीन घंटे का अंतर होना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इस बात समय से ध्यान देने और जरूरी एहतिहास बरतने से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है।

अपकी आपका धड़का हुआ दिल आपकी दोनों रक्त वाहिकाओं (बड़े और छोटे) के विशाल संजल के माध्यम से रक्त को अग्रवाल करने में मदद करता है। आपकी रक्त वाहिकाएं, बदले में लालतार समायोजित होती रहती हैं। वे आपके रक्तचाप को नियंत्रित रखने और रक्त प्रवाह की स्वस्य दर बनाए रखने के लिए संकुचित या चौड़ी हो जाती हैं।

सामान्य समस्या भर नहीं उच्च रक्तचाप लापरवाही की कीमत भारी

को विड-19 के विश्वव्यापी संकट के बीच लोग एक साथ कई तरह की समस्याओं से ज़बू रहे हैं। जीवन की स्वाभाविकता जिस तरह लगातार असहजता में बदलती जा रही है, उस कारण लोग काफी तनावग्रस्त रहे लगे हैं। तनाव पहले भी अधिक जीवनशैली से जुड़ा था पर अब तो यह काफी बढ़ गया है। उच्च रक्तचाप, ऐसी ही एक समस्या है जिसे लेकर इन में हमें खासा सरकर रखने की ज़रूरत है। केवल बार लोग उच्च रक्तचाप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते और इसके उपचार को लेकर यह अग्रवाल रहते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और यह जानलेवा तक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इस बात समय से ध्यान देने और जरूरी एहतिहास बरतने से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है।



आपके लिए उच्च रक्तचाप का जोखिम बढ़ा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ आमतौर पर इस बात पर सहमत है कि सबसे सुखित रक्तचाप या सामान्य रक्तचाप 120/80 वा उससे कम होता है, जिसका अर्थ है 'सिस्टोलिक' रक्तचाप 120 वा उससे कम और 'डायस्टोलिक' रक्तचाप 80 वा उससे कम। डॉ. लॉरेंस फैडन जो उच्च रक्तचाप के उपचार और रोकथाम पर अनुरोधन की नियमनी करते हैं, कहते हैं कि 140/90 से ऊपर के औसत रक्तचाप के 'हाइपरटेंशन' के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उच्च रक्तचाप को आहार, बजन घटाने और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से रोका जा सकता है। आपतौर पर इसके उपचार में कुछ दवाओं के साथ जीवनशैली में स्वस्थ बदलाव की सलाह दी जाती है।

सलाह और एहतिहास

- स्वस्थ बजन रखें। शारीरिक रूप से संरक्षित हों। हर दिन कम से 30 मिनट पैदल ज़रूर रहें। रात की नींद अच्छी है।
- स्वस्थ आहार लें। सजियाँ, फलों, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेरों और संतुष्ट वसा और कम शक्तर खाने की योजना तैयार करें। नमक के सेवन में कठोरी करें। प्रसंस्कृत भोजन (जैसे सूप और बैठ फूड) में नमक का प्रयोग काफी होता है। यहि शराब का सेवन करते हों तो कम मात्रा में करें। धूपासन न करें। (यह लेख सिक्ख धरान और जागरुकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

समस्या और निदान

उच्च रक्तचाप आपके दिल के काम को बहुत पुरिकूल कर सकता है। उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा, हृदयाभाव या गुरुदे की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यहां यह बात हमें खासगत है कि उच्च रक्तचाप की समस्या किसी को भी हो सकती है। समय के साथ उच्च रक्तचाप दिल, गुरुदे, मसिक्क और अंगों सहित आपके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

उच्च रक्तचाप दुर्निया भर में मूल्य और विकल्पगता का एक प्रमुख जोखिम कारक है। उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा, हृदयाभाव या गुरुदे की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यहां यह बात हमें खासगत है कि उच्च रक्तचाप की समस्या किसी को भी हो सकती है। समय के साथ उच्च रक्तचाप को आहार, बजन घटाने और खासगती वाले दूसरे अंदर जागरुक रहना ही हमारी सेवन के लिए हितकरन है।

सावधानियां

अगर आप हृदय रोगी हैं या उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की समस्या है तो इस क्रिया को बंध के साथ न करें तथा कुंभक उतना ही करें जिससे कि बेचैनी महसूस न हो।

विधि

पद-1 : एकांत शांत स्थान में आसन लगाकर मन को चारों तरफ से खींचकर केवल श्वास पर लगा दें। 11 बार गहरी और लंबी श्वास लें। श्वास की गति इतनी धीमी रखें कि अपने आप के श्वास की आवाज भी सुनाई न दें।

पद-2 : श्वास को शरीर के बाहर निकालकर तीनों बंधों- मूल बंध, जालंधर बंध तथा उच्च रक्तचाप बंध के प्रयोग करें। आप में 20 सेकंड श्वास को बाहर पर ही रोकें और साथ ही तीनों बंधों का प्रयोग भी करें।

बीस सेकंड रुकने के बाद धोरे-धोरे श्वास को भीतर भरते हुए तीनों बंधों को खोल दें और श्वास गहरा लंबा अंदर भरकर 30 सेकंड रुके। इस स्थिति में केवल दो बंधों- मूल बंध बंध और जालंधर बंध का प्रयोग करें। यह 50 सेकंड का एक चक्र हुआ।

इसी प्रकार से बिना रुके तीन चक्र करने हैं। श्वास बाहर निकालकर 20 सेकंड रुकना है। श्वास अंदर भरकर 30 सेकंड रुकना है। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार से तीन चक्र पूरा करें। इस स्थिति में श्वास गहरा बिल्कुल नहीं रखता है। यह एक चक्र देता है। इसे रुकने के बाद श्वास की गति अत्यंत तीव्र रखनी है।

